न्यायालय,लोकपाल, मनरेगा, जिला–वैशाली

वाद संख्या– 04/13–14 में पारित आदेश की प्रतिलिपि

दिनांक		अभ्युक्ति
17.05.13	यह वाद श्री प्रवीण चन्द कुमार, ग्राम– करिहों, पो0– विशुनपुर बेझा, पंचायत ताजपुर बुजुर्ग, थाना– महुआ, जिला– वैशाली के दिनांक 28.02.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है। ग्राम पंचायत , ताजपुर बुजुर्ग, प्रखण्ड ' महुआ के अन्तर्गत मनरेगा योजनाओं में मुखिया विश्वबंधु कुमार द्वारा जॉब कार्ड इश्यु करवाकर अपने पास रख लिये है तथा मजदूरी का सारा पैसा भी निकालकर अपने पास रख लिये है। शिकायतकर्त्ता के शिकायत के संदर्भ में पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम– पंचायत ताजपुर बुजुर्ग, प्रखण्ड –महुआ एवं मुखिया , ग्राम पंचायत –ताजपुर बुजुर्ग , प्रखण्ड – महुआ से कारण पृच्छा की मांग की गयी। पंचायत रोजगार सेवक ने अपने कारण पृच्छा में बताया कि उक्त शिकायत पत्र में वर्णित मजदूरों की मजदूरी की राशि का भुगतान खाता के माध्यम से डाकघर को भेजा जा चुका है। मजदूरी का भुगतान संबंधी Advice साथ संलग्न है। पंचायत रोजगार सेवक का आगे यह भी कहना है कि शिकायत पत्र में वर्णित कुल 18 शिकायतकर्त्ताओं में से आठ शिकायतकत्ताओं नें किसी योजना में न तो काम किया है और न ही उनका Advice डाकघर को दिया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि शिकायतकर्त्ता किसी के बहकावे में आकर गलत शिकायत कर रहे है। मुखिया , ग्राम पंचायत – ताजपुर बुजुर्ग , प्रखण्ड– महुआ ने भी अपने कारण पृच्छा में कामोवेश यही बाते कही है। दिनांक 08.03.2013 को मेरे द्वारा ग्राम पंचायत ताजपुर बुजुर्ग का भ्रमण किया गया। मेरे साथ कार्यक्रम पदाधिकारी, महुआ, सहायक अभियंता, मनरेगा प्रखण्ड– महुआ, तकनीकी सहायक, महुआ, पंचायत रोजगार सेवक, संबंधित मुखिया, ग्रामीण तथा मजदूर उपस्थित थे। भ्रमण स्थल स्थानीय मध्य विद्यालय में मजदूरों से पूछ–ताछ की गयी तथा उनका ब्यान दर्ज किया गया। दिनांक 16.03.13 को शिकायतकर्त्ता द्वारा आवेदन दिया गया कि उक्त ब्यान दूसरे मजदूरों के नाम पर दिया गया है। इसलिए पुनः जांच किया जाय। दिनांक 08.04.13 को मेरे कार्यालय कक्ष में पुनः मजदूरों का ब्यान दर्ज किया गया । एक अन्य ग्रामीण श्री झपसी पासवान एवं गिरजा देवी द्वारा अफेडिविट दिया दिया गया कि हमलोगों की मजदूरी का पैसा निकालकर रख लिये है। उक्त आवेदक श्री झपसी पासवान का जॉब कार्ड तथा भुगतान संबंधी विपत्र एम0आई0एस0 द्वारा प्राप्त किया गया। विपत्र में पाया गया कि खाता सं0 10104836, डाकघर– विशुनपुर बेझा द्वारा दिनांक17.08.2011 एवं 07.09.2011 को छः –छः दिनों की मजदूरी 120/–रूपया की दर से कुल 1440/रूपया की भुगतान की जा चुकी है तथा गिरिजा देवी का भी मजदूरी भुगतान 13248 रूपया की जा चुकी है। शिकायतकर्त्ताओं की मजदूरी भुगतान संबंधी मस्टर रॉल एवं एडवाइस प्राप्त किया गया। शिकायतकत्ताओं द्वारा कार्य किये गये दस मजदूरों के नाम मस्टर रौल में अंकित थे तथा उनके भुगतान संबंधी एडवाइस डाकघरों को भेजे गये थे। एडवाइस द्वारा डाकघरों का नाम एवं खाता संख्या इक्ठ्ठा कर दिनांक 26.04.2013 को मेरे द्वारा उक्त सभी डाकघरों का भ्रमण किया गया। डाकघर डुमरी (महुआ रोड) की शाखा द्वारा लिखित रूप से सूचित किया गया कि इस शाखा से संबंधित तीनो खातों में मजदूरी की रकम राशि अंकित किया हुआ है। जो उक्त तारीख तक उनके खाता में शेष बची हुई है, निम्न प्रकार है। 1 तिलकेश्वरी देवी खाता सं0 –10105046– रकम शेष 13890.00	

d/bijendra/lokpal30

पत्र प्रति प्राप्त किया
प्रवीण चन्द्र कुमार

2 राजवती देवी ,, – 10105052– ,, ,, 720.00

3 जितेन्द्र पासवान ,, –10105075 – ,, ,, 720.00

शेष सात शिकायतकत्ताओं के खाते में से पाँच मजदूरों के खाते डाकघर शाखा विशुनुपुर बेझा से संबंधित था। उक्त शाखा द्वारा लिखित रूप से सूचित पाँच खाताओं के लेन देन का निम्न विवरण प्रस्तुत किया गया।

1 गिरजा देवी – खाता सं0– 10104833 निकासी की गयी रकम– 720.00–24.07.10
–4990.00–14.12.11
– 7538.00–19.03.12

2 देवकली देवी – ,, 10104835– – 720.00–24.10.11
–4990.00–14.12.11
–7538.00–16.03.12

3 अनिता देवी– ,, – 10104844 – – 720.00–27.10.11
– 4990.00–14.12.11
– 7538.00–19.03.12

4 फुलगम देवी – ,, 10104849– –720.00–22.10.11
– 4990.00–13.12.11
–7538.00–16.03.12

5 प्रेमिया देवी– ,, 10104850– –720.00–25.10.11

शेष दो मजदूरों के संबंध में डाकघर मिर्जानगर की सहयोगी शाखा– महुआ द्वारा निम्न विवरण दिये गये है।

1 प्रेमशीला देवी– खाता सं0– 11203632 – निकासी की गयी रकम– 5000.00–11.5.12
– 5000.00–14.5.12
–224.00–16.5.12

2 नगीना पासवान – ,, 11204339 – – 5000.00–28.8.12
– 5000.00–01.09.12
– 4400.00–04.09.12

एडवाइस द्वारा मजदूरों से संबंधित डाकघर एवं उनके खाते में विभिन्न तिथियों को भेजी गयी रकम तथा विभिन्न खाता से भिन्न भिन्न तिथियों से निकासी द्वारा पता चलता है कि मजदूरी की रकम उनके संबंधित डाकघरों के खाता सं0 में भेजी गयी है। पंचायत रोजगार सेवक द्वारा शिकायतकर्त्ताओं में से आठ मजदूरों द्वारा काम न किये जाने की सूचना पर शिकायतकर्त्ता श्री प्रवीण चन्द्र कुमार को पत्रांक 394 दिनांक 30.05.13 द्वारा उक्त मजदूरों की सूची देकर जानकारी मांगी गयी कि इनलोगें के कार्य किये जाने से संबंधित कोई जानकारी या साक्ष्य हो तो कार्यालय को सूचना उपलब्ध करायी जाये।

दिनांक 11.6.2013 को शिकायतकर्त्ता द्वारा सूचित किया गया कि उनके मजदूरी करने संबंधी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

दिनांक 13.06.13 को पत्रांक 654 द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी एवं मुखिया का निदेश दिया गया कि आवेदन पत्र में वर्णित मजदूरों का जॉब कार्ड वापस कर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

दिनांक .23.07.13 को कार्यक्रम पदाधिकारी, महुआ द्वारा जॉब कार्ड वापस करने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। साथ ही मजदूरों के जॉब कार्ड उनके पास होने संबंधी ब्यान भी प्रस्तुत किये है।

शिकायत पत्र के कुल अठारह मजदूरों में से 10 मजदूरों के खातों में उनकी मजदूरी अंकित है। आठ मजदूरों की मजदूरी बकाया प्रमाणित नहीं हो पायी है। दस मजदूरों में से आठ मजदूरों के जॉव कार्ड उन्हें प्राप्त है। शेष दो के संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी, महुआ द्वारा शीघ्र

अतः पंचायत [redacted] र सेवक एवं मुखिया को आगाह किया जाता है कि कार्य [redacted] दौरान मजदूरों की उपस्थिति नियम पूर्वक दर्ज करें, ताकि कोई छूट नहीं जाय। एडवाइस समय से तैयार कर मजदूरों को सूचित भी कर दें। प्राथमिकता के आधार पर जनहित में छूटे हुए मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें इसका अनुपालन कार्यक्रम पदाधिकारी, महुआ करायेंगे।

इन्हीं निष्कर्षों के साथ इस वाद का निष्पादन किया जाता है।

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक 1398 /मनरेगा, हाजीपुर दिनांक 17/8/13

प्रतिलिपिः पंचायत रोजगार सेवक, श्री विश्वबंधु कुमार, मुखिया, ग्राम पंचायत राजापुर बुजुर्ग, प्रखण्ड- महुआ को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक 1398 /मनरेगा हाजीपुर दिनांक 17/8/13

प्रतिलिपि: कार्यक्रम पदाधिकारी, महुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक /मनरेगा, हाजीपुर दिनांक

प्रतिलिपिः श्री प्रवीण चन्द्र कुमार ग्राम– करिहों, पो०– विशुनपुर बेझा, थाना– महुआ, जिला– वैशाली को सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक /मनरेगा, हाजीपुर दिनांक

प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक /मनरेगा, हाजीपुर दिनांक

प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी– सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक,(मनरेगा) वैशाली को सादर सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक /मनरेगा, हाजीपुर दिनांक

प्रतिलिपिः सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।